पत्रांक :–3 / यो.1–34 / 2023 (उ0शि0)......107/ ७७४

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 24/07/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत आर0 के0 महिला महाविद्यालय, गिरिडीह के जिर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 8,64,17,300/– मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 1,72,40,600/– (एक करोड़ बहत्तर लाख चालिस हजार छः सौ) रूपये मात्र की निकासी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– स्वीकृत्यादेश संख्या 283/बजट दिनांक 03.01.2024 एवं झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1478(नि0) दिनांक 23.06.2025

आदेश– स्वीकृत ।

झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है। विभागीय आदेश संख्या 02/बजट दिनांक 05.04.2023 के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों को State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने का उद्देश्य से इनके आधारभूत संरचना के विकास/विस्तार/जिर्णोद्धार कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें आर0 के0 महिला महाविद्यालय, गिरिडीह भी सम्मिलित है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत आर0 के0 महिला महाविद्यालय, गिरिडीह के जिर्णोद्धार कार्य हेतु रू0 8,64,17,300/– मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध रू0 1,72,40,600/– (एक करोड़ बहत्तर लाख चालिस हजार छः सौ) रूपये मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

Sl.No.	Item	Amount in Rs.
1	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	8,64,17,300.00
2	एकरारनामा की राशि	6,28,41,708.00
3	निगम का एजेन्सी चार्ज/संचालन अनुदान	43,98,919.00
4	योजना हेतु निगम द्वारा किया गया/ किया जाने वाला कुल व्यय (2+3)	6,72,40,627.00
5	योजना हेतु निगम को उपलब्ध कराया गया आवंटन	5,00,00,000.00
6	अधियाचित राशि (4-5)	1,72,40,627.00

Say Rs1,72,40,600.00

4. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष –"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड–21S220203102BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
188/बजट दिनांक 24.09.2024	5,00,00,000/–	4,63,14,984/–

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी० एल० खाता संख्या–8448 से एक सप्ताह के अंदर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची के पी० एल० खाता–8448 में राशि अंतरित कर दी जायेगी।

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. स्वीकृत्यादेश संख्या 283/बजट दिनांक 03.01.2024 में अंकित शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

24/7/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–34/2023 (उ0शि0) 107/875 /रॉची, दिनांक– 24/07/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/7/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो.1–34/2023 (उ0शि0) 107/875 /रॉची, दिनांक– 24/07/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा–सह–नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/7/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।